उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित किये/कराये जाने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य स्वरुप प्रदान किये जाने हेतु जनपद के समस्त थानों पर योग शिविर का आयोजन कर किया गया योगाभ्यास

आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन कर मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ योगाभ्यास किया गया।

योगाचार्य द्वारा बताया गया कि व्यायाम करने से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से हर समय स्वस्थ रहता है। मनुष्य को प्रतिदिन निरोगी रहने के लिए योग एवं व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। विभिन्न बीमारियों एवं रोगों से बचने का व्यायाम एकमात्र और सशक्त माध्यम है। प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य के शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, जिससे पूरे दिन मनुष्य में स्फूर्ति बनी रहती है, इसलिए जरूरी है कि मनुष्य रोजाना योग एवं व्यायाम करें। इससे आप कई तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको आपके अंदर एक अलग सा बदलाव देखने को मिलेगा। हम सभी से यही अपील करते हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल में योग अभ्यास अवश्य करें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 20.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल थाना स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।

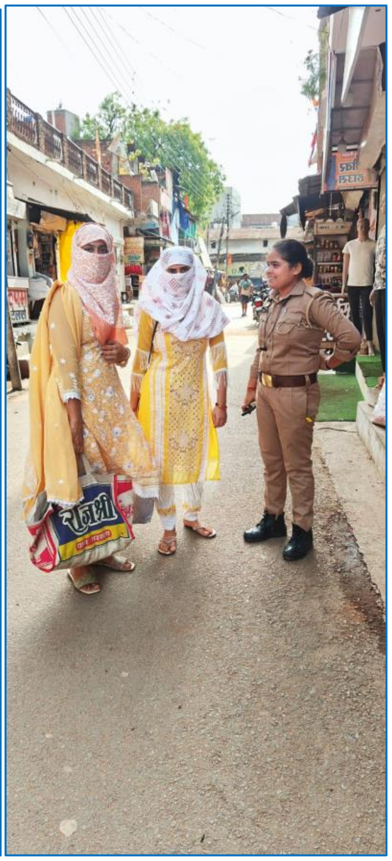

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह व का0 मोहित सिंह के द्वारा एक नफर अभियुक्त करिया वर्मा पुत्र स्व0 विश्वनाथ उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा को छानीकला मोड़ कानपुर रोड के पास से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

करिया वर्मा पुत्र स्व0 विश्वनाथ उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. का0 मोहित सिंह

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अर्जुन पटेल मय हमराह म.का. रिचा उपाध्याय द्वारा एक नफर अभियुक्ता श्रीमती भगवती कबूतरा पत्नी गुलाब कबूतरा उम्र 50 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को कबूतरा डेरा सूपा के पास से 02 प्लास्टिक की पिपिया मे 20 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 148/2024 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

श्रीमती भगवती कबूतरा पत्नी गुलाब कबूतरा उम्र 50 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अर्जुन पटेल
2. म.का.रिचा उपाध्याय

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 20.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मां0 जिला जज, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का किया गया औचक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 20.06.2024 को मां0 जिला जज महोबा श्री जे.पी. यादव, जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, इस दौरान जेल अधीक्षक उपकारागार महोबा श्री शिवमूरत सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान बैरक,भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया, इसी क्रम में कैदियों-बंदियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गयी, मेस में बन रहे भोजन के संबंध में संबंधित जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी। जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए इसके संचालन के संबंध में जेल अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । सीसीटीवी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा पुरुष एवं महिला बैरक, अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में उन्होने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल परिसर और बेरकों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये और नियमानुसार बंदियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।